

संख्या- 1/स्था0 (1) 702/2017-1174


बिहार सरकार

28/03/18

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

आदेश

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में स्थानीय व्यवस्था के तहत कार्यरत में बिहार कोषागार संहिता-2011 के नियम- 84 के तहत स्थायी पदस्थापन होने तक विशेष उप निदेशक (पशु विकास), वृहत्त पशु विकास परियोजना (मुख्यालय स्तर), (छपरा-सीवन), छपरा, कार्यालय की स्थापना मद से निकासी हेतु डॉ0 अशोक कुमार विधार्थी, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, छपरा, सारण को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।


  
(ब्रजेश्वर पाण्डेय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1/स्था0 (1) 702/2017-1174

/ पटना-15,दिनांक- 28/03/18


प्रतिलिपि:- महालेखाकर (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1/स्था0 (1) 702/2017-1174

/ पटना-15,दिनांक- 28/03/18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, छपरा/जिला पदा0, छपरा/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, सारण क्षेत्र, छपरा/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), वृहत्त पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), (छपरा-सीवन), छपरा/जिला पशुपालन पदाधिकारी, सारण, छपरा/अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, छपरा, सारण/ डॉ0 अशोक कुमार विधार्थी, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, छपरा, सारण/प्रशाखा पदा0, प्रशाखा- 2/विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।